

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद, जिला भिण्ड (म0प्र0)

समक्ष- वीरेन्द्र सिंह राजपूत

आप0 पुनरीक्षण याचिका क. 267 / 15

संस्थापन दिनांक-16.10.2015

रहीश अनसारी पुत्र वहीद अनसारी, उम्र 35 वर्ष, निवासी कस्बा मौ, थाना मौ, तहसील गोहद, जिला भिण्ड म0प्र0

---पुनरीक्षणकर्ता

// विरुद्ध //

म0प्र0 शासन द्वारा पुलिस थाना, मौ जिला भिण्ड (म0प्र0)

---प्रत्यर्थी

पुनरीक्षणकर्ता द्वारा श्री ए0के0 राणा अधिवक्ता

प्रत्यर्थी द्वारा- श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक

आदेश

;आज दिनांक 29/04/2017 को पारित किया गया

01. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से यह दाखिल पुनरीक्षण याचिका न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी गोहद (श्री गोपेश गर्ग) द्वारा आपराधिक प्रकरण क्रमांक 85/2015 (शासन वि0 राजेश आदि) में पारित आदेश दिनांक 14.08.2015 एवं 18.09.2015 से व्यथित होकर प्रस्तुत की है, जिसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालय ने पुनरीक्षणकर्ता/आरोपी की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 195 जा0फौ0 निरस्त करते हुए आरोपीगण के विरुद्ध आरोप पत्र विरचित किया

2 आप0 पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 267 / 2015

गया है।

02. संक्षेप में मामला इस प्रकार है कि थाना मौ में फरियादी रामनरेश के द्वारा दिनांक 19.11.14 को इस आशय की रिपोर्ट दर्ज कराई कि शाम के पांच बजे वह राजू पचौरी व सुनील ओझा के दरवाजे पर खड़े थे वहीं पर उसका नाती आयुश उम्र 5 वर्ष खड़ा था उसी समय मौ कस्बे की तरफ से बुलेरो मैक्स क्रमांक एम.पी. 07 जी.ए. 0910 को उसका चालक राजेश पुत्र जगतसिंह चुनाव प्रचार का डी.जे. तेज आवाज में अध्यक्ष पद प्रत्याशी रहीश अनसारी का करते हुए वाहन को तेजी व लापरवाही से चलाते हुए आया और उसके नाती को टक्कर मार दी। तत्पश्चात् बच्चे को हॉस्पिटल ले गए जो कि मृत हो चुका था। जिसकी रिपोर्ट पुलिस थाना मौ में की गई जिस पर से आरोपी के विरुद्ध अप0क्र0 385/14 धारा 304ए भा.द.वि का आपराध पंजीबद्ध कर अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् दिनांक 20.01.2015 को अभियोजन की ओर से एक आवेदनपत्र थाना प्रभारी को विधिक अभिमत पेश करने बावत् भेजा गया जिस पर से तसहीलदार गोहद के द्वारा दिनांक 09.02.15 को अधीनस्थ न्यायालय गोहद में धारा 188 भा.द.वि व 5/15 कोलाहल अधिनियम के अभियोग बावत् स्वीकृति भेजी गई। निगरानीकर्ता की ओर से धारा 195 सी.आर.पी.सी का आवेदनपत्र दिनांक 29.06.15 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जो कि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा दिनांक 14.08.15 को निरस्त किया गया है, जिससे व्यथित होकर यह दांडिक पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की है।

03. पुनरीक्षणकर्ता द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश को विधि और तथ्यों के विपरीत होने, आवेदन पत्र तकनीकी आधारों पर एवं निरस्त किया गया है, जबकि इस संबंध में प्रथम से कोई परिवादपत्र सक्षम अधिकारी के द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश को अपास्त कर पुनरीक्षणकर्ता का आवेदन स्वीकार किये जाने की प्रार्थना की है।

04. राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अधीनस्थ न्यायालय के आलोच्य आदेश को विधि एवं तथ्यों के अनुरूप दर्शाते हुए पुनरीक्षणकर्ता की पुनरीक्षण याचिका सारहीन होने से निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।

05. पुनरीक्षणकर्ता की ओर से श्री ए0के0 राणा अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी की ओर से श्री दीवानसिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक के तर्क श्रवण किये गये एवं अधीनस्थ न्यायालय के आपराधिक प्रकरण क 85 / 2015 (शासन वि0 राजेश आदि) के रिकार्ड का अवलोकन किया गया।

06. प्रकरण के निराकरण के लिये निम्न विचारणीय प्रश्न है :-

01.	क्या अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकरण क0 85 / 2015 (शासन वि0 राजेश आदि) में पारित आदेश दिनांक 14.08.2015 का आदेश पारित कर दिनांक 18.09.15 को वरिचित आरोप के संबंध में विधि एवं तथ्य संबंधी ऐसी गंभीर त्रुटि की है, जो शुद्धता, वैधता, औचित्यता एवं अधिकारिता के आधार पर पुनरीक्षण शक्तियों के अधीन हस्तक्षेप योग्य है?
-----	--

॥ सकारण निष्कर्ष ॥

07. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि धारा 195 दं.प्र.सं. की मंशा के अनुरूप धारा 188 का संज्ञान केवल परिवाद पर ही लिया जा सकता है और प्रकरण में वह नहीं लिया गया है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में लिया गया संज्ञान

अधिकारिता के बाहर है।

08. प्रकरण का अवलोकन किया गया। प्रकरण में पुलिस थाना गोहद द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में भा.द.वि की धारा 304ए एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 49/192, 146/196 एवं म0प्र0 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 की धारा 2/15 के अंतर्गत अभियोगपत्र पेश किया है और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त धाराओं के अंतर्गत आरोपी राजेश पर तथा आरोपी रहीश पर भा.द.वि की धारा 188 एवं म0प्र0 कोलाहल नियंत्रण अधिनियम की धारा 5/15 में संज्ञान लिया है। प्रकरण में यह भी स्थिति स्पष्ट है कि प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट रामनरेश शर्मा द्वारा लेख कराई गई जिसके आधार पर पुलिस द्वारा दं.प्र.सं. की धारा 173 के अंतर्गत अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया है।

09. पुनरीक्षणकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अत्यधिक बल दिया है कि धारा 188 के लिए न्यायालय में संबंधित लोक सेवक को लिखित परिवादपत्र प्रस्तुत किया जाना चाहिए था जैसा कि धारा 195 सी.आर.पी.सी प्रावधान करती है, किन्तु संबंधित लोक सेवक द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई हो, प्रकरण में पुलिस द्वारा अनुसंधान कर अभियोगपत्र पेश किया गया है और ऐसी स्थिति में धारा 195 सी.आर.पी.सी के वर्जित प्रावधान के अनुसार संज्ञान दूषित हो गया है।

10. प्रकरण में यह स्पष्ट स्थिति है कि संबंधित लोक सेवक द्वारा धारा 188 के अंतर्गत परिवाद प्रस्तुत नहीं किया गया है, बल्कि पुलिस रिपोर्ट के आधार पर अभियोगपत्र प्रस्तुत किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलौच्य आदेश में इस आधार पर पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत आवेदनपत्र निरस्त किया गया है कि परिवाद मौखिक या लिखित किया जा सकता है और प्रकरण में तहसीलदार के द्वारा लिखित रिपोर्ट पेश किये जाने से संज्ञान योग्य है।

11. दं.प्र.सं. की धारा 195(1)(क)(i) यह स्पष्ट प्रावधान करता है कि भा.द.वि की धारा 172 से 188 तक के दण्डनीय अपराध का, दुष्प्रेरण, प्रख्यान एवं आपराधिक षड्यंत्र का

संज्ञान लोक सेवक के, या किसी अन्य ऐसे लोक सेवक के, जिसके लिए वह प्रशासनिक तौर पर अधिकृत हो लिखित परिवाद में ही करेगा, अन्यथा नहीं।

12. अतः दं.प्र.सं. की धारा 195 यह स्पष्ट प्रावधान करती है कि उक्त धाराओं में संज्ञान केवल दर्शित लोक सेवक के द्वारा लिखित परिवाद पर ही संज्ञान लिया जा सकता है। अधीनस्थ न्यायालय ने पुलिस को की गई रिपोर्ट को परिवाद माना है, किन्तु यदि इस संबंध में दं.प्र.सं. की धारा 2(घ) का अवलोकन किया जाए तो “परिवाद से तात्पर्य मजिस्ट्रेट द्वारा कार्यवाही किया जाना की दृष्टि से मौखिक या लिखित रूप में उससे किया गया यह अभिकथन अभिप्रेत है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है, किन्तु इसके अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट नहीं आती है” किन्तु इस धारा के साथ महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण लगा हुआ है जो यह प्रावधान करता है कि किसी ऐसे मामले जो अन्वेषण के पश्चात् किसी असंज्ञेय अपराध का किया जाना प्रकट करता है तो पुलिस अधिकारी द्वारा की गई रिपोर्ट परिवाद समझी जाएगी और वह पुलिस अधिकारी जिसके द्वारा रिपोर्ट की गई है परिवादी समझा जावेगा।

13. उक्त वर्जित स्थिति से यह स्पष्ट होता है कि यदि किसी पुलिस अधिकारी द्वारा रिपोर्ट की गई है ‘अ’ अपराध संज्ञेय प्रकृति का है, उसी दशा में ही पुलिस रिपोर्ट को परिवाद समझा जावेगा, अन्यथा नहीं और अन्य परिस्थितियों में पुलिस रिपोर्ट परिवाद में सम्मिलित नहीं है।

14. प्रश्नगत प्रकरण में प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट किसी पुलिस अधिकारी के द्वारा न लिखाई जाकर रामनरेश शर्मा जो कि शिक्षक है के द्वारा लेख कराई गई है।

15. अतः जबतक कि संबंधित लोक सेवक या ऐसे किसी लोक सेवक जिसके प्रशासनिक रूप से वह अधीनस्थ है के द्वारा लिखित परिवाद प्रस्तुत नहीं किया जाए। संज्ञान दं.प्र.सं. की धारा 195 के अंतर्गत वर्जित है, क्योंकि दं.प्र.सं. की धारा 2(ख) यह स्पष्ट प्रावधान करती है कि परिवाद से तात्पर्य कार्यवाही किया जाने की दृष्टि से “मजिस्ट्रेट से किए गए मौखिक या लिखित अभिकथन अभिप्रेत है।” प्रश्नगत प्रकरण में संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष

6 आप0 पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 267/2015

प्रत्यक्ष रूप से कोई लिखित या मौखिक अभिकथन शिकायकर्ता लोक सेवक द्वारा प्रस्तुत किया गया है ऐसा दर्शित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में स्पष्टतः दं.प्र.सं. की धारा 188 के अंतर्गत विचारण न्यायालय द्वारा लिया गया संज्ञान स्पष्टतः त्रुटिपूर्ण होकर अधिकारित विहीन है।

16. प्रकरण में पुनरीक्षणकर्ता पर अधिरोपित अन्य आरोप के संबंध में विचार किया गया। पुनरीक्षणकर्ता के विरुद्ध अधिरोपित अन्य आरोप जो कि अन्य धाराओं के संबंध में है पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है, क्योंकि उक्त धाराओं के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट में संज्ञान वर्जित नहीं है।

17. परिणाम: पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत यह पुनरीक्षण याचिका स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आरोपी राजेश एवं आरोपी रहीश के विरुद्ध भा.द.वि की धारा 188 के अंतर्गत लिया गया संज्ञान एवं विरचित आरोप अपास्त किया जाता है। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि शेष धाराओं में लिया गया संज्ञान उचित रूप से लिया गया है, जिसमें हस्तक्षेप नहीं किया जाता है।

18. उक्त निर्देश के अनुसार पुनरीक्षणकर्ता की ओर से प्रस्तुत याचिका का निराकरण किया जाता है।

19. आदेश की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का मूल अभिलेख बापस किया जावे।

आदेश खुले न्यायालय में पारित

मेरे निर्देश पर टंकित किया गया।

सही / -
(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)

सही / -
(वीरेन्द्र सिंह राजपूत)
अपर सत्र न्यायाधीश, गोहद
जिला भिण्ड (म0प्र0)